कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक–707/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, अगस्त, 24– 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021, पत्रांक–3393/ 11–सी दिनांक–31.05.2022,

महोदय,

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा विषयक प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र संख्या–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021 द्वारा 02 बिन्दुओं पर इंगित कमियों का निराकरण करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, मीरजापुर तथा कैमर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर ने अपने कार्यालय के कमशः पत्रांक–219/ओबरा/भू0ह0 दिनांक–30.07.2022,पत्रांक 284/सोनभद्र/15 दिनांक 16.08.2022,पत्रांक 585/रेनुकूट/15–7दिनांक 16.08.2022 पत्रांक 470/मीरजापुर/15दिनांक 08.08.2022 तथा पत्रांक 334/33–1 दिनांक 10.08.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की अनुपालन आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को संस्तुति सहित प्रेषित किया है :–

"प्रश्नगत प्रश्ताव 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2 –93– 707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक परियोजना 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:–

"उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।"

तत्कम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात उक्त वन भूमि को लीज, नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज

नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने तथा कोई स्पष्ट गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रकिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रकिया में प्रकियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमे किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जब कि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व मे दिये गये अनुमति से है, क्यो कि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति प्रश्नगत परियोजना का लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।"

यहाँ यह अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी तथा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित लीज अवधि के समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात भी प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी दशा में लीज अवधि के उपरान्त भी प्रस्तावक विभाग द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, मीरजापुर तथा कैमर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपरोक्त बिन्दु की प्रेषित आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उल्लिखित तथ्यों को अपने स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 7-07 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, मीरजापुर तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को उनके कार्यालय के कमशः पत्रांक–219/ओबरा/भू0हे0 दिनांक–30.07.2022,पत्रांक 284/सोनभद्र/15 दिनांक 16.08.2022,पत्रांक 585/रेनुकूट/15–7दिनांक 16.08.2022 पत्रांक 470/मीरजापुर/15दिनांक 08.08.2022 तथा पत्रांक 334/33–1 दिनांक 10.08.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर